केन्द्र राज्य संबंध

भारत का संविधान भारत को एक संघीय ढाँचा प्रदान करती है। जहाँ केंद्र एंव राज्यो के बीच शक्तियो का बँटवारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका को एकीकृत रूप मे रखा गया है।

संविधान की 7 वी अनुसूचि मे केन्द्र एंव राज्य के बीच शक्तियो का बटवारा करने हेतु तीन सूचियो का निर्माण किया गया है। इस तरह संविधान केन्द्र एंव राज्य संबंधो को लेकर विभिन्न मुद्दो पर व्यवस्था स्थापित किया गया है।

केन्द्र एंव राज्यो के संबंधो का अध्ययन तीन दृष्टिकोणो से किया जा सकता है।

(i.) विधायी संबंध
(ii.) प्रशासनिक संबंध
(iii) वित्तीय संबंध

* विधायी संबंध *

- भाग XI
- अनु० 245 – 255 तक
- राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण
- केन्द्र एंव राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र
- विधायी विषयो का बटवारा
- राज्य क्षेत्र मे संसदीय विधान

(1) केन्द्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार

(i) संसद पुरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है।

(ii) राज्य विधानमंडल पुरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रो मे लागु नही किया जा सकता।

(iii) केवल संसद अकेले "अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान" बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एंव उनकी विश्व मे कही भी संपत्ती पर लागु होता है।

परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते है, जहाँ पर संसद द्वारा निर्मित कानून लागु नही होते है।

(i) राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंव नागर हवेली, दमन एंव दीव के लिए शांति, उन्नति एंव अच्छी सरकार हेतु कानून बना सकता है। ये उतना ही प्रभावी होता है, जितना संसद द्वारा निर्मित कानून

(ii) राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है, कि वे संसद द्वारा निर्मित कानून को सूचिबद्ध क्षेत्र मे लागु न करे या संशोधन कर लागु करे।

(iii) असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र मे प्रयोज्य न करे। या कुछ संशोधन के साथ कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रो (मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के लिए प्राप्त है।

② विधायी विषयों का बटवारा

- → अनुसूचि 7
- → तीन स्तरों में बाँटा गया है।
  - → संघ सूचि → मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय
  - → राज्य सूचि → मूल रूप में 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय
  - → समवर्ती सूचि → मूल रूप में 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय

→ अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। अर्थात जो विषय इन तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करे, तो वहाँ पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों को प्राप्त है।

वहीं 1935 भारत शासन अधिनियम की बात करे, तो वहाँ पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर को प्राप्त था।

वहीं कनाडा की बात करे तो वहाँ पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। जैसा कि भारत में।

→ संघ सूचि के विषयो पर ~~राज्य~~ केन्द्रीय विधानमंडल को कानून बनाने की अन्नय शक्ति प्राप्त है। वही राज्य सूचि के विषयो पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए अधिकृत है। जबकि समवर्ती सूचि के विषयो पर राज्य विधानमंडल या संसद दोनो कानून बनाने हेतु अधिकृत है। लेकिन टकराहट की स्थिति मे समवर्ती सूचि पर ~~बनाएँ गए~~ संसद द्वारा बनाए गए कानून सर्वमान्य होगे।

* राज्य क्षेत्र मे संसदीय विधान *

सॉतवी अनुसूचि मे वर्णित किए गए बँटवारे सामान्य काल के लिए लागु होता है। असामान्य स्थितियो मे संविधान संसद को शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूचि के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियो मे कानून बनाएँ

- → जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे
- → राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
- → राज्यो के अनुरोध की अवस्था मे
- → अंतर्राष्ट्रीय समझौतो को लागु करना
- → राष्ट्रपति शासन के दौरान

(4) राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण

अपवादजनक परिस्थितियों मे राज्य सूचि पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केन्द्र को राज्य सूचि पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलो मे शक्तिशाली बनाता है।

(i) राज्यपाल कुछ विधेयको को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है।

(ii) राज्य सूचि से संबधित कुछ मामलो पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। ex:- व्यापार & वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाली विधेयक

(iii) राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है।

प्रशासनिक संबंध

- भाग XI
- अनु० 256 से 263 तक

→ केन्द्र एवं राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों का बटवारा किया गया है। जहाँ केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत है। वही राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है।

समवर्ती सूचि के विषय पर कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित होती है। सिवाए तब तक जब कोई सांविधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टतः केन्द्र को प्रदत्त करे। अर्थात समवर्ती सूचि पर भले ही कानून केंद्र बनाऐ परंतु इसे क्रियान्वित करने की शक्ति राज्य को प्राप्त है।

* राज्य एवं केंद्र के दायित्व

संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए है

- संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना
- राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना.

→ दोनो ही मामलो मे केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत है, कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यो को यह निर्देश देती है कि केन्द्र का कानून अपने कानून से ज्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति मे बाध्यकारी है।

इस प्रकार अनु० 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने मे असफल रहता है तो ऐसी दशा मे राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ मे ले सकता है कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देश के अनुसार कार्य नही किया अतः राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

इन दो मामलो के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलो मे अपनी कार्यकारी शक्तियो के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है।

(i) संचार के साधनो को बनाएँ रखना एंव रख रखाव करना

(ii) राज्य मे रेलवे संपति की रक्षा करे

(iii) राज्य मे ST के कल्याण हेतु विशेष योजना को बनाना एंव क्रियान्वयन करना

(iv) प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य के अल्पसंख्यक समुह के बच्चो को सीखने हेतु प्रेरित करना

* केंद्र एंव राज्य के बीच सहयोग

(i) संसद किसी अंतराज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग वितरण एंव नियंत्रण के संबंध मे न्याय निर्णयन दे सकती है

(ii) राष्ट्रपति Art 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है (सामुहिक महत्व की विषयो पर बहस/चर्चा हेतु)

(iii) संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एंव अंतर्संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकता है